

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

संख्या- 45/12ए-7 (2017-20)/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 6 नवम्बर, 2017

विषय- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौड़ा द्वारा से चमेली चौक तक मार्ग के नवनिर्माण हेतु निर्माण में आने वाली 3.01 है0 वन भूमि के एवज में दोगुनी 6.02 है0 भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

उप जिलाधिकारी, सदर
जनपद-देहरादून।

उपरोक्त विषयक आपकी आख्या संख्या- 711 दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 के द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौड़ा द्वारा से चमेली चौक तक मार्ग के नवनिर्माण हेतु निर्माण में आने वाली 3.01 है0 वन भूमि के एवज में ग्राम-द्वारा, परगना-परवादून, तहसील-सदर, जनपद-देहरादून के खाता खतौनी संख्या 332, फसली वर्ष (1416-1421) के खसरा नं0 2092क मध्ये रकबा 5.9380 है0 तथा खसरा संख्या-413 मि0 मध्ये रकबा 0.0820 है0, अंतर्गत श्रेणी 5(3)ख(2)-गाव समाजों में निहित जंगल साल भूमि को प्रस्तावित किया गया है।

अतः आपकी आख्या संख्या- 711 दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 के संदर्भ में शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010, राजस्व अनुभाग-2, देहरादून दिनांक 17, दिसम्बर, 2012 में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत ग्राम-द्वारा, परगना-परवादून, तहसील-सदर, जनपद-देहरादून के खाता खतौनी संख्या 332, फसली वर्ष (1416-1421) के खसरा नं0 2092क, रकबा 5.9380 है0 तथा खसरा संख्या-413 मध्ये रकबा 0.0820 है0, अर्थात् कुल रकबा 6.02 है0, श्रेणी 5(3)ख(2)-गाव समाजों में निहित जंगल साल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नाम हस्तान्तरित/आवंटित किया जाता है। उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नाम दर्ज करते हुये, कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(एस0ए0मुरुरेशन)
जिलाधिकारी
देहरादून

प्रतिलिपि :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून/मसूरी को सूचनार्थ।
2. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को उनके पत्र संख्या- कैम्प/देहरादून दिनांक 30 अगस्त, 2017 के क्रम में सूचनार्थ।



6/11/17
जिलाधिकारी
देहरादून